कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

क्रमांक 2010/समुकाअ/चिप्स/2024 रायपुर, दिनांक 16/01/2024

प्रति,

निदेशक,
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर (छत्तीसगढ़).

विषय : आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ द्वारा बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर क्षेत्रांतर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेज–2" के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.005 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।
पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/118817/2021

संदर्भ : 1. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023।
2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–851/62 नवा रायपुर दिनांक 08/01/2024।
3. आपका पत्र क्र/व.प्रा./तक. अधि./165 जगदलपुर दिनांक 09/01/2024।

–00–

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर क्षेत्रांतर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेज–2" के तहत 20.100 कि.मी. लम्बे तथा 0.50 मी. चौड़े वन क्षेत्र कुल रकबा 1.005 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.005 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ को उपयोग पर देने हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन आरोपित शर्तों पर सहमति प्रदान करते हुए आपके समक्ष पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है –

1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–1 संलग्न
2.	(अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 1.005 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगांव में 2.967 हे, तथा ग्राम पोड़गांव में 10.427 हे. कुल 13.394 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा। (ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत् संरक्षित वन या धारा–4 के तहत् आरक्षित वन के रुप में अधिसूचित किया जाएगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–2 संलग्न

3.	उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–3 संलग्न
4.	(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक–566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5–1/1998–एफ.सी. (पार्ट–11) दिनांक 18.09. 2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3 /2011-FC (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3 /2011 -FC (Vol-1) दिनांक 22.03. 2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी। (ब) विशेषज्ञ सगिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–4 संलग्न
5.	परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी ।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–5 संलग्न
6.	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा ।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–6 संलग्न
7.	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–7 संलग्न
8.	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के पलोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–8 संलग्न
9.	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान/ वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–9 संलग्न
10.	उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–10 संलग्न
11.	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग /रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–11 संलग्न

12.	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	शर्त से सहमत है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–12 संलग्न
13.	आवेदक संस्थान रखरखाय का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–13 संलग्न
14.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–14 संलग्न
15.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) यह सुनिश्वित करेगें कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–15 संलग्न
16.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No.6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02. 2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्ते लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–16 संलग्न
17.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–17 संलग्न
18.	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, पन संरक्षण अधिनियन 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–18 संलग्न
19.	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–19 संलग्न
20.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेगें कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–20 संलग्न
21.	सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–21 संलग्न
22.	संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नही किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नही की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–22 संलग्न
23.	मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–23 संलग्न

24.	आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नही छोड़े जायेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–23 संलग्न
25.	कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चत करें।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–25 संलग्न
26.	आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–26 संलग्न
27.	Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–27 संलग्न
28.	Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project- Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–28 संलग्न
29.	No labor camp should be constructed within the Kanger Vally National Park or Forest area.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–29 संलग्न
30.	Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक–30 संलग्न

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों पर सहमति प्रदान करते हुए आपके समक्ष पालन प्रतिवेदन पृथक पृथक वचन पत्र 5 प्रतियों में प्रस्तुत है। प्रतिपूरक वृक्षारोपण (CA) एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) के संबंध मे वांछित राशि के भुगतान की पावती संलग्न है। उक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन के आधार पर अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नः– 1. पालन प्रतिवेदन मय 30 वचन पत्र
2. CA & NPV की राशि भुगतान की पावती।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.) CHiPS Chhattisgarh Infotech Promotion Society

क्रमांक 2010/A/समुकाअ/चिप्स/2024 — रायपुर, दिनांक 16/01/2024

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्रबंध/व.स.अ.), अरण्य भवन नवा रायपुर छत्तीसगढ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स रायपुर छत्तीसगढ की ओर सादर सूचनार्थ।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.) CHiPS State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.) Chhattisgarh Infotech Promotion Society

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–880/62 नवा रायपुर, दिनांक 08 /01/2024

प्रति,

निदेशक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर
छत्तीसगढ़

विषय :– **आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत् भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.005 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् व्यपवर्तन बाबत।**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 118817/ 2021

संदर्भः– छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/ एफ 5–28/ 2023/ 10–2 दिनांक 19.12.2023

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.12.2023 को प्रकरण में प्रथम चरण (सैद्धांतिक) स्वीकृति जारी की गई है।

अतः संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक – पृथक वचन पत्रों सहित मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अपूर्ण पालन प्रतिवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

संलग्नः– संदर्भित पत्र की छाया प्रति (04 पृष्ठीय)।

[signature]
कृते अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115– 880/63 नवा रायपुर, दिनांक 08 /01/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक,** जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),** एवं क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर, रिजर्व, जगदलपुर, छ.ग.।
3. **वनमंडलाधिकारी,** बस्तर वनमंडल, बस्तर, छत्तीसगढ़।
4. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

[signature]
कृते अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
आवक क्र. 12
दिनांक 01/01/24
नवा रायपुर

क्रमांक एफ 5–28/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/12/2023

प्रति,

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

APCCF (L/M)
PCCF

विषयः– आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.005 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1.भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।

2.भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।

3.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए/115–880/1759, दिनांक 26.07.2023 तथा पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए/115–880/2326, दिनांक 04.10.2023।

विविध-I(A)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

----000----

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :–

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
1	बस्तर	कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर	कोटमसर (एन.पी.)	कमनार	आरक्षित वन	89	4874.707	0.5	0.243
2				कमनार	आरक्षित वन	90	7001.310	0.5	0.350
3				मथरकोंटा	आरक्षित वन	91	71.915	0.5	0.004
4				मथरकोंटा	आरक्षित वन	163	2639.917	0.5	0.132
5				तीरथगढ़	आरक्षित वन	164	2637.126	0.5	0.132
6				तीरथगढ़	आरक्षित वन	165	2875.401	0.5	0.144
आरक्षित वन भूमि का योग									1.005
कुल योग							20.100 K.M.	0.5	1.005

उक्त 20.100 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 1.005 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.005 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
100
3/01/24

क्रमशः 2

2.(अ). वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 1.005 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगांव में 2.967 हे. तथा ग्राम पोड़गांव में 10.427 हे. कुल 13.394 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा।

(ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत् संरक्षित वन या धारा–4 के तहत् आरक्षित वन के रुप मे अधिसूचित किया जाएगा।

3. उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेगें ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।

4.(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए.क्रमांक–566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5–1/1998–एफ.सी. (पार्ट–II) दि.18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।

(ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

5. परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पेरेशन बैंक लोदी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी।

6. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरुप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा।

7. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

8. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को ख़ोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।

9. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान /वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

10. उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।

क्रमशः 3

11. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।

12. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

13 आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

14. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा।

15. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) यह सुनिश्चित करेगें कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत् उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

16. भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No. 6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।

17. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।

18. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर को निवेदन करेंगे।

19. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

20. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेगें कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।

21. सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

22. संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नही किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नही की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।

23. मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।

24. आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नही छोड़े जावेंगे।

25. कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चत करें।

26. आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यपवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही करेगा।

27. Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.

28. Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project. Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.

29. No labor camp should be constructed within the Kanger Valley National Park or forest area.

30. Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.

उपरोक्त शर्तों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से संबंधित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से प्राप्त कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित करेगें जिसके पश्चात् इस प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,
(के.पी.राजपूत) 14.12.23
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–28/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /12/2023

प्रतिलिपि :–

1.वनमहानिदेशक, भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली – 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2.वनमहानिरीक्षक (वन्यप्राणीखण्ड),भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली – 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3.वनमहानिरीक्षक,भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

4.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

5.मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर छत्तीसगढ़।

6.मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

7.निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

8.वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल, छत्तीसगढ़।

9.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़

Phone/Fax No. 07782-228640, E Mail ID – kvnp.2007@rediffmail.com

क्रमांक / व.प्रा. / त.अधि. / 165 **जगदलपुर, दिनांकः 09 / 01 / 2024**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स),
सिविल लाईन, रायपुर (छ0ग0)

विषयः– **आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.005 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।**

संदर्भः– **छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ,का पत्र क्र0 / एफ 5–55 / 2023 / 10–2 दिनांक 27.12.2023.**

––000––

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.12.2023 को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् 20.100 कि.मी. लम्बे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र रकबा–1.005 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.005 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु शर्तों के अधीन प्रथम चरण के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृत जारी की गई हैः–

क्र	कार्य का नाम	मात्रा	दर (प्रति हे.)	राशि	मद का नाम
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
01	वृक्षारोपण हेतु राशि (CA)	1.005	966666.000	971499.33	कैम्पा मद में
		योगः–	**971499.33**		
01	प्रत्याशा मूल्य राशि (NPV)	1.005	1595790.00 X 10	16037689.50	कैम्पा मद में
		योगः–	**16037689.50**		
कुल योगः–			**17009188.83**		

अतः उक्त राशि कैम्पा मद में जमा कर इस कार्यालय को सूचित करें।

निदेशक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / त.अधि. / 166 **जगदलपुर, दिनांक 09 / 01 / 2024**

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।

3. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

निदेशक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771—4014158 फैक्स नं. 0771—4066205

अनुलग्नक —1

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ—5—28 / 2022 / 10—2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.—1:

वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –2

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–2

(अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 1.005 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगांव में 2.967 हे, तथा ग्राम पोड़गांव में 10.427 हे. कुल 13.394 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा।

(ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत् संरक्षित वन या धारा–4 के तहत् आरक्षित वन के रुप में अधिसूचित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी
Chhattisgarh Infotech Promotion Society
State Data Center Civil Lines Raipur (CG)

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –3

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2021 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–3:

उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।

उपरोक्त शर्त के पालन मे वर्तमान दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि रु. 97,14,99.33 दिनांक 16/01/2024 को कैम्पा मद मे जमा किया गया है। जिसका यू.टी.आर. नंबर INDBR32024011600674851 है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –4 (अ)

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–4 (अ):

(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक–566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5–1/1998–एफ.सी. (पार्ट–11) दिनांक 18.09. 2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05. 02.2009, तथा पत्र क्र. **5-3 /2011-FC (Vol-1)** दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक **5-3 /2011 -FC (Vol-1)** दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (**Net Present Value**) वसूली जायेगी।

उपरोक्त शर्त के पालन मे शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशि रु. 16037689.50 दिनांक 16/01/2024 को कैम्पा मद मे जमा किया गया है। जिसका यू.टी.आर. नंबर INDBR32024011600674851 है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –4(ब)

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–4(ब):

(ब) विशेषज्ञ सगिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –5

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–5:

परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को **Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203** के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003 में स्थित खाता संख्या **CAF 25203** में हस्तांतरित की जायेगी ।

उपरोक्त शर्त के पालन मे वर्तमान दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि रु. 97,14,99.33 एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशि रु. 16037689.50 कुल राशि रु. 1,70,09,189.00 दिनांक 16 / 01 / 2024 को कैम्पा मद मे जमा किया गया है। जिसका यू.टी.आर. नंबर INDBR32024011600674851 है।(संलग्न)

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society
State Data Center Civil Lines Raipur (CG)

Payament Details & UTR No.									
#	Proposal Name	Registration no.	Challan Application No.	Infavour Of Name	Bank Acount No.	IFSC Code	Amount	UTR No.	Date
1	Kanger velly NP Bastar	FP/CG/OFC/118817/2021	71118817548	CHHATTISGARH CAMPA	1506471118817548	UBIN0996335	1,70,09,189.00	INDBR32024011600674851	16.01.2024

INDUSIND BANK LTD
PANDRI BRANCH

13/5/24

Manager (Finance)
Chhattisgarh infotech and biotech Promotion Society (CHiPS), Raipur - 492001

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771—4014158 फैक्स नं. 0771—4066205

अनुलग्नक —6

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ—5—28 / 2022 / 10—2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित क्र.—6:

प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –7

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–7:

ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –8

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–8:

उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु **Horizontal Directional Drilling method (HDD)** पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के पलोरा एवं फौना तथा **Regeneration** को क्षति न हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर सिविल लाईन्स रायपुर (छ.ग.)
CHiPS
State Data Center Civil Lines Raipur (CG)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –9

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–9:

स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान /वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –10

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–10:

उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –11

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–11:

आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग /रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –12

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–12:

आवेदक संस्थान, स्थानीय वन / पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन / पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –13

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–13:

आवेदक संस्थान रखरखाय का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –14

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–14:

वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –15

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–15:

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) यह सुनिश्चित करेगें कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Infotech Promotion Society
State Data Center Civil Lines Rai... (C.G.)

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –16

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–16:

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No.6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्ते लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –17

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–17:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771—4014158 फैक्स नं. 0771—4066205

अनुलग्नक —18

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ—5—28 / 2022 / 10—2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.—18:

बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियन 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –19

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–19:

क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण / विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –20

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–20:

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेगें कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
CHiPS
State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –21

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–21:

सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –22

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–22:

संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नही किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नही की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –23

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–23ः

मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –24

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–24:

आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नही छोड़े जायेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Infotech Promotion Society
State Data Center Civil Lines Raipur (C.G.)

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –25

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–25:

कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चत करें।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –26

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–28/2022/10–2 दिनांक 19/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–26:

आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –27

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–27:

Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.) CHiPS State Data Center Civil Lines Raipur (C.G.) Chhattisgarh Infotech Promotion Society

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –28

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–28:

Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project- Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –29

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–29:

No labor camp should be constructed within the Kanger Vally National Park or Forest area.

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –30

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–28 / 2022 / 10–2 दिनांक 19 / 12 / 2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–30:

Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़